देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर 452001
दूरभाष : 2523530

क्रमांक / प्रशासन / विविध / 2020 / 61 दिनांक : 20 JAN 2021

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / विभाग प्रमुख, अध्ययनशालाएं / संस्थान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय : विश्वविद्यालय में तम्बाकु, गुटखा के खानपान पर रोक बावत्।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया कि विश्वविद्यालय के नालंदा एवं तक्षशिला परिसर में तम्बाकू, सुपारी, गुटखा पाउच, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करके भवनों के गलियारे में थूककर प्रदूषण फैलाया जाता है। संस्थान में इस प्रकार के कृत्य उपस्थित अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है एवं संक्रामक बीमारियों को जन्म देता है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार नालंदा एवं तक्षशिला परिसर के समस्त विभागों में तम्बाकू, सुपारी, गुटखा पाउच, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित किया जाता है।

अतः समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष / अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय में यदि कोई कर्मचारी / अधिकारी / शिक्षक / छात्र या कोई बाहरी व्यक्ति कार्यस्थल पर तम्बाकू, सुपारी, गुटखा पाउच, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उन पर रूपये 200/– (दो सौ) का जुर्माना आरोपित किया जाय।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / प्रशासन / विविध / 2020 / 61 दिनांक : 20 JAN 2021

प्रतिलिपिः

1. कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निज सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।

सह. कुलसचिव (प्रशासन)